विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 जुलाई, 2020

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–8/2020–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06–07–2020 को अनुमोदित औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

2020 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4

औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्यांक 14) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।

2. धारा 22 का संशोधन.– हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में ''लोक उपयोगी सेवा'' शब्दों के पश्चात् ''और गैर–लोक उपयोगी सेवा'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 25 च का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (ख) में शब्दों '' पन्द्रह दिन'' के स्थान पर ''साठ दिन'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 25 ट का संशोधन :– मूल अधिनियम की धारा 25 ट की उपधारा (1) में शब्दों ''एक सौ'' के स्थान पर ''दो सौ'' शब्द रखे जाएंगे ।

हस्ता0/–
(बंडारू दत्तात्रेय),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

हस्ता0/–
(यशवंत सिंह चोगल)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः 2020

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HIMACHAL PRADESH ORDINANCE NO. 4 OF 2020

THE INDUSTRIAL DISPUTES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE, to amend the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) in its application to the State of Himachal Pradesh.

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of the State of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020.

2. Amendment of Section 22.—In Section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947, in its application to the State of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-sections (1) and (2), after the words "public utility service", the words "and non-public utility service" shall be inserted.

3. Amendment of Section 25F.—In Section 25 F of the principal Act, in clause (b), for the words "fifteen days", the words "sixty days" shall be substituted.

4. Amendment of section 25K.—In Section 25 K of the principal Act, in sub-section (1), for the words "one hundred", the words "two hundred" shall be substituted.

Sd/-
(BANDARU DATTATREYA),
Governor,
Himachal Pradesh

Sd/-
(YASHWANT SINGH CHOGAL),
Principal Secretary (Law).

Shimla:
Dated ……….. 2020

मैं औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

माननीय राज्यपाल ने औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

यशवन्त सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

———————